नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का किया लोकार्पण

चर्चा में क्यों?

15 फरवरी, 2022 को मध्य प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने रजिस्ट्रेशन के लिये ऑनलाइन पोर्टल का लोकार्पण किया।

प्रमुख बिंदु

- इस ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कॉलोनाइजर्स अब **एक ही रजिस्ट्रेशन पर पूरे प्रदेश में निर्माण** कार्य कर सकेंगे। कॉलोनाइजर्स को अलग-अलग नगरीय निकायों में रजिस्ट्रेशन कराने से निजात मिलेगी। साथ ही 30 दिन की समय-सीमा में संबंधित प्रमाण-पत्र जारी किये जाएँगे।
- नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने बताया कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से प्रक्रिया सरल होगी और प्रदेश के विकास में तेज़ी आएगी। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने **मध्य प्रदेश नगर पालिका कॉलोनी विकास नियम 2021 द्वारा अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण के भी प्रावधान** किये हैं।
- **आवेदन की सुविधा ई-नगरपालिका पोर्टल, एमपी अर्बन वेबसाइट, ई-सर्विस पोर्टल पर** उपलब्ध रहेगी। इसमें रजिस्ट्रीकरण शुल्क का ऑनलाइन भुगतान, आवेदन की स्थिति ट्रैक करने, ऑनलाइन दस्तावेज़ अपलोड करने, ऑनलाइन अनुमोदन प्रक्रिया, डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र, **SMS** एवं वाट्सएप के ज़रिये आवेदक को सूचना, वाट्सएप के ज़रिये सर्टिफिकेट प्रदान किये जाने की सुविधा और संचालनालय के लिये मॉनीटरिंग के उद्देश्य से विभिन्न रिपोर्ट्स की सुविधा रहेगी।
- कॉलोनाइजर के नए एकीकृत रजिस्ट्रीकरण अब संचालनालय स्तर पर ऑनलाइन किये जाएँगे, जो सभी नगर निकायों के लिये मान्य होंगे।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/online-portal-for-registration-of-colonizers